रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 130] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 19, 1983/फाल्गुन 28, 1904
No. 130] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 19, 1983/PHALGUNA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1983

का. आ. 187(अ).—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा सरकार की सहमति से, उस सरकार को —

(1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के, उस अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य कृत्यों को छोड़ कर ; और

(2) त्रिपुरा राज्य में संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के सम्बन्ध में भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 के,

अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, सौंपते हैं, अर्थात :—

(क) त्रिपुरा सरकार, ऐसे कृत्यों के प्रयोग में ऐसे साधारण और विशेष निदेशों का अनुपालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, जारी करे ; और

(ख) कृत्यों के ऐसे सौंपे जाने पर भी, केन्द्रीय सरकार स्वयं उक्त कृत्यों में से किसी का प्रयोग कर सकेगी, यदि वह किसी का प्रयोग कर सकेगी, यदि वह किसी मामले में ऐसा करना ठीक समझे ।

[फा. सं. 12011/20/1/82-एल.आर.डी.]

ए. आर. बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1983

S.O. 187(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution of India and of all other powers enabling him in this behalf, the President, with the consent of the Government of Tripura, hereby entrusts to that Government, the functions of the Central Government under:—

(i) the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), except the functions exercisable by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 55 of the said Act ; and

(ii) the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963 in relation to the acquisition of land for the purposes of the Union in the State of Tripura,

subject to the following conditions, namely :—

(a) that in the exercise of such functions, the Government of Tripura shall comply with such general and special directions as the Central Government may, from time to time, issue ; and

(b) that notwithstanding the entrustment, the Central Government may itself exercise any of the said functions should it deem fit to do so in any case.

[F. No. 12011/20/1/82-LRD]

A. R. BANDOPADHYAY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983